स्थायी वित्त निर्देश 15/2025

# छत्तीसगढ़ शासन
## वित्त विभाग
## मंत्रालय
## महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 308/वित्त/चार/2025, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/05/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

**विषयः– बजट में "अपरीक्षित नवीन मद" के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।**

संदर्भः– 1.छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग का परिपत्र क्रमांक 151/वित्त/चार/2012 रायपुर, दिनांक 01 मई, 2012(वित्त निर्देश 25/2012)
2.छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग का परिपत्र क्रमांक 282/एफ–1002635/वित्त/नियम/चार/12 रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2012(वित्त निर्देश 61/2012)

––0––

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से "अपरीक्षित मद" के रूप मे शामिल होने की स्थिति में स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–1 के खण्ड–III अन्तर्गत मद क्रमांक 5 में प्रशासकीय विभाग (इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर ) को राशि रूपये 3 करोड़ की वित्तीय प्रत्यायोजन की सीमा निर्धारित की गई थी।

2. "अपरीक्षित नवीन मद" के प्रकरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा विकेन्द्रीकरण करते हुए "अपरीक्षित नवीन मद" के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–1, 2024 के खण्ड–दो "बजटीय मामले" अन्तर्गत सरल क्रमांक 2.3 में प्रशासकीय विभाग (इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर) को राशि रूपये 5 करोड़ वित्तीय प्रत्यायोजन की सीमा निर्धारित की गई है। इसके फलस्वरूप बजट में "अपरीक्षित नवीन मद" के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों का

प्रत्यायोजन हेतु समेकित निर्देश जारी करते हुए, निम्नानुसार प्रक्रिया एवं शर्तों का पालन किये जाने की आवश्यकता है :–

**स्वीकृति की प्रक्रिया :–**

2.1 ऐसे प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर पर गठित समिति निम्नानुसार रहेगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) | – | अध्यक्ष |
| (ii) | विभागाध्यक्ष | – | सदस्य |
| (iii) | वित्त विभाग के प्रतिनिधि (जो कि उप सचिव से कम स्तर का न हो) | – | सदस्य |
| (iv) | प्रशासकीय विभाग का संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव | – | सदस्य सचिव |
| (v) | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) एवं अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) मद के प्रकरणों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का अधिकारी, जो उप संचालक से कम स्तर का न हो | – | सदस्य |

2.1.1 प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समिति की बैठक से कम से कम 7 दिवस पूर्व नवीन मद के प्रस्ताव के संबंध में, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 341 / 210 / 2024 / वि / नि / चार दिनांक 07.06.2024 (स्थायी वित्त निर्देश 04 / 2024) अनुसार संक्षेपिका तथा कार्यसूची सदस्यों को उपलब्ध करायी जाए।

2.1.2 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग द्वारा तैयार की गई संक्षेपिका में योजना से लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या की जानकारी भी शामिल की जाएगी।

2.1.3 प्रशासकीय विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रतिनिधि के मध्य मतभिन्नता की स्थिति में प्रकरण आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

2.1.4 प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि के मध्य मतभिन्नता की स्थिति में प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

2.1.5 समिति के परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव पर विभाग के भारसाधक मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

**स्वीकृति संबंधी शर्तें :–**

2.2 नवीन मद के प्रस्ताव में पद सृजन तथा वाहन क्रय के प्रस्ताव सम्मिलित होने की स्थिति में इन मदों की स्वीकृति के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

2.3 वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2.4 लोक निर्माण विभाग के बजट में सम्मिलित सड़कों एवं पुल/पुलिया, जल संसाधन विभाग की लघु सिंचाई योजनाएं एवं एनीकट, तथा अन्य निर्माण कार्यो के प्रकरणों में, अपरीक्षित मद के प्रकरणों के लिये बजट में प्रावधानित कुल लागत की 25 प्रतिशत की सीमा तक ही रूपये 5 करोड़ तक के अपरीक्षित मद के प्रस्तावों की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी। उसके उपरान्त प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जायें।

2.5 बजट में नवीन मद के रूप में सम्मिलित आईटम पर यदि उस वित्तीय वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है, तब प्रचलित प्रक्रियानुसार उसके आगामी वित्तीय वर्ष तक नवीन मद वैध रहेगा।

2.6 प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृतियों का अभिलेख संधारण किया जायेगा तथा प्रतिमाह जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृतियों की जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित की जायेगी।

3. प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की प्रति वित्त विभाग एवं महालेखाकार को पृष्ठांकित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(मुकेश कुमार बंसल)**
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 309/वित्त/चार/2025, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/05/2025

**प्रतिलिपिः–**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग नवा रायपुर अटल नगर/रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
12. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखाएँ वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
14. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
15. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावंती भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
19 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग